शि०
१२८

समस्त भारतीय भाषाओं के लिए
सामान्य राष्ट्रलिपि

परिवर्धित देवनागरी

केंद्रीय हिंदी निदेशालय · शिक्षा-मंत्रालय · भारत सरकार

© भारत सरकार

प्रकाशन संख्या : 1 /67

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय,
मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।

दो शब्द

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्रीय शासन द्वारा हिंदी के प्रचार और प्रसार की विविध योजनाओं पर काम शुरू किया गया था। योजनाओं को कार्यान्वित करते हुए यह अनुभव किया गया कि हिंदी वर्णमाला और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण हिंदी प्रचार, प्रसार और विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है। यह मानकीकरण हिंदी टाइप-राइटर और टेलीप्रिंटर के कुंजीपटलों को व्यवस्थित करने और विभिन्न भारतीय भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियों को देवनागरी के माध्यम से व्यक्त करने के लिए भी आवश्यक समझा गया था।

इन विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञों की विभिन्न समितियाँ समय-समय पर गठित की गई थीं। इन समितियों के निर्णय यथासमय प्रकाशित और प्रसारित किए जा चुके हैं।

प्रस्तुत पुस्तिका में शिक्षा-मंत्रालय द्वारा संगठित भाषाविद् समिति की सिफ़ारिशें दी गई हैं जिन्हें भारत सरकार की मान्यता प्राप्त हो चुकी है।

शिक्षा-मंत्रालय द्वारा संगठित हिंदी शिक्षा समिति ने अपनी 29 अप्रैल, 1966 की बैठक में एक प्रस्ताव पास करते हुए शिक्षा-मंत्रालय से आग्रह किया था कि समस्त भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी को एक सामान्य लिपि के रूप में अपनाने के संबंध में की गई सिफ़ारिशों को एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर दिया जाए।

प्रस्तुत पुस्तिका इसी उद्देश्य से तैयार की गई है।

आशा है इस पुस्तिका में दी गई जानकारी से अध्यापक, विद्यार्थी, सरकारी भाषा-विभाग और स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएँ लाभान्वित होंगी।

इस पुस्तिका में दिए गए सुझाव अंतिम हैं। फिरभी विद्वानों की सम्मतियाँ मिलने पर सुधार संभव है।

दिल्ली
29 नवंबर, 1966

स० चंद्रहासन
निदेशक

अनुक्रम

	पृष्ठ
1. सामान्य राष्ट्रलिपि की आवश्यकता और महत्त्व ।	7
2. आदर्श लिपि की विशेषताएँ ।	9
3. फ़ारसी, रोमन और देवनागरी लिपियों का तुलनात्मक विश्लेषण ।	11
4. देवनागरी ही क्यों ?	12
5. देवनागरी में संशोधन ।	13
6. देवनागरी में नवीन प्रतीकों का समावेश ।	
7. विभिन्न लिपियों के तुलनात्मक चार्ट और संविधान के अनुच्छेद-351 का देवनागरी-लिप्यंतरण ।	
असमिया–देवनागरी ।	16-17
उड़िया–देवनागरी ।	18-19
उर्दू–देवनागरी ।	20-21
कन्नड़–देवनागरी ।	22-23
कश्मीरी–देवनागरी ।	24-25
गुजराती–देवनागरी ।	26-27
तमिल–देवनागरी ।	28-29
तेलुगु–देवनागरी ।	30-31
पंजाबी (गुरुमुखी)–देवनागरी ।	32-33
बंगला–देवनागरी ।	34-35
मलयालम–देवनागरी ।	36-37
मराठी	38
संस्कृत	39
हिंदी	40

सामान्य राष्ट्रलिपि की आवश्यकता और महत्त्व

भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक भाषाएँ और लिपियाँ प्रचलित हैं। एक समय था जबकि अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क के लिए प्रमुख रूप से एक भाषा संस्कृत और एक लिपि ब्राह्मी का प्रयोग होता था। परंतु कालांतर में उनसे अनेक क्षेत्रीय भाषाएँ और लिपियाँ विकसित हुईं और थोड़े बहुत अंतर के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिष्ठित और प्रचलित हो गईं। परस्पर भेद होते हुए भी उनमें मूलभूत समानता और एकता थी, इसमें संदेह नहीं।

आधुनिक भारतीय भाषाओं के पारस्परिक घनिष्ठ संबंध और साम्य को देखकर, और इस उद्देश्य को सामने रखते हुए कि स्वतंत्र भारत में समस्त देश के लिए एक समान भाषाई माध्यम की आवश्यकता होगी, इस शताब्दी के प्रारंभ से ही देश के नेताओं, विचारकों और विद्वानों का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया कि समूचे देश के लिए एक भाषा और एक लिपि कौनसी हो सकती है और उसकी विशेषताएँ क्या होनी चाहिएँ।

प्रसन्नता की बात यह है कि भारतीय स्तर पर एक भाषा और एक लिपि की आवश्यकता के संबंध में आवाज़ बुलंद करने वाले अहिंदी भाषी क्षेत्र ही थे। स्वनामधन्य न्यायमूर्ति श्री शारदाचरण मित्र ने एक-लिपि विस्तार परिषद् और देवनागर पत्रिका के माध्यम से इस आंदोलन का सूत्र-पात इस आशय से ही प्रारंभ किया था।

सन् 1905 में नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी के एक अधिवेशन में भाषण देते हुए लोकमान्य तिलक ने समस्त भारतीय भाषाओं के लिए एक सामान्य लिपि के रूप में देवनागरी को अपनाने का प्रबल समर्थन किया था और यह भी कहा था कि देवनागरी रोमन लिपि की तुलना में कहीं अधिक उपयुक्त है।

न्यायमूर्ति श्री शारदाचरण मित्र द्वारा सन् 1910 में इलाहाबाद में आयोजित एक-लिपि सम्मेलन में संस्कृत के प्रकांड पंडित और विधिवेत्ता न्यायमूर्ति श्री वी० कृष्णस्वामी अय्यर ने अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए, समूचे भारत के लिए एक भाषा और एक लिपि की नितांत आवश्यकता पर बल दिया था और इस बात का संकेत किया था कि बहुप्रचलित और वैज्ञानिक होने के कारण सामान्य लिपि के रूप में देवनागरी को भली-भाँति अपनाया जा सकता है।

सर्वविदित है कि महात्मा गांधी ने इस बात का सदा समर्थन किया कि देवनागरी लिपि को समस्त भारत के लिए एक सामान्य लिपि के रूप में अपनाया जाए। भारतीय साहित्य परिषद्, मद्रास के अध्यक्ष पद से उन्होंने जो भाषण सन् 1937 में दिया था उसमें यह स्पष्ट रूप से बताया था कि फ़ारसी और रोमन लिपियों में न तो देवनागरी जैसी पूर्णता है और न ही देवनागरी के समान भारतीय भाषाओं की विभिन्न ध्वनियों को शुद्ध रूप से व्यक्त करने की क्षमता है। अनेक लिपियों का बोझ ढोना अनावश्यक है क्योंकि इस बोझ से सहज ही छुटकारा मिल सकता है।

11 फरवरी, 1939 के 'हरिजन' में गाँधी जी ने लिखा था कि समूचे भारत के लिए एक सामान्य लिपि के रूप में रोमन लिपि को अपनाना भावना और वैज्ञानिकता दोनों के विरुद्ध है। उसे प्रचलित करना थोपना ही होगा और थोपी हुई चीज़ कभी लोकप्रिय नहीं हो सकती। ज्यों ही जनता जागृत होगी, उसे उखाड़ फेंकेगी।

अपने निधन से कुछ ही समय पूर्व नेहरू जी ने कहा था कि उनके विचार में समस्त भारतीय भाषाओं के लिए कभी न कभी एक सामान्य लिपि को प्रोत्साहित करना आवश्यक होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि इसका यह तात्पर्य नहीं कि अखिल भारतीय स्तर पर अपनाई गई एक लिपि विभिन्न भारतीय भाषाओं की अपनी-अपनी लिपियों का स्थान ले लेगी। किसी को भी यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि देवनागरी विभिन्न लिपियों का स्थान लेकर जम जाएगी; हो सकता है देवनागरी में ही कुछ संशोधन करना पड़े। नेहरू जी का सुझाव था कि देवनागरी को समस्त भारतीय भाषाओं के लिए एक दूसरी (एडीशनल) लिपि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसका फल यह होगा कि एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश की भाषा को अधिक सरलता से सीख सकेंगे क्योंकि वास्तविक कठिनाई भाषा की न होकर लिपि की है।

10, 11, 12 अगस्त 1961 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों का एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। सम्मेलन ने एकमत होकर यह राय दी कि समस्त भारतीय भाषाओं के लिए एक सामान्य लिपि का होना वांछनीय ही नहीं, आवश्यक भी है क्योंकि ऐसी लिपि भारतीय भाषाओं के बीच एक सेतु का काम करेगी और उससे भावनात्मक एकता को बढ़ावा मिलेगा। सम्मेलन की राय में वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए देवनागरी लिपि ही ऐसी लिपि हो सकती है।

डॉ० वी० के० आर० वी० राव, डॉ० एस० एम० कत्रे, श्री वी० के० गोकक, डॉ० वी० राघवन्, श्री एन० वी० कृष्ण वारियर, श्री एल० एच० अजवानी, डॉ० रघुवीर, डॉ० बाबूराम सक्सेना और कृपानाथ मिश्र आदि विभिन्न भारतीय भाषाओं और साहित्यों के मूर्धन्य विद्वानों ने यही राय दी है कि राष्ट्रीय एकता को बल प्रदान करने और विभिन्न भारतीय भाषाओं और साहित्यों को एक दूसरे के निकट लाने के लिए एक सामान्य लिपि के रूप में देवनागरी को अपनाना वांछनीय और आवश्यक है।

तात्पर्य यह है कि समस्त देश के लिए एक लिपि की आवश्यकता का अनुभव पिछले 60-70 वर्षों से किया जा रहा है और बहुमत देवनागरी के पक्ष में रहा है।

आदर्श लिपि की विशेषताएँ

अब यह विचार कर लेना उपयुक्त होगा कि एक आदर्श लिपि में कौन-कौन से गुण होने चाहिएँ और देवनागरी में ऐसी कौनसी विशेषताएँ हैं जो उसकी प्रतिद्वंद्विनी फ़ारसी और रोमन लिपियों में नहीं हैं या कम हैं और उनके कारण बहुमत उसे सामान्य लिपि के रूप में अपनाने के पक्ष में है और उसकी तुलना में फ़ारसी या रोमन को वह स्थान देने के पक्ष में नहीं है।

किसी भी भाषा की आदर्श लिपि वही हो सकती है जिसमें :—

(क) एक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए केवल एक चिह्न हो,

(ख) एक चिह्न केवल एक ही ध्वनि का बोध कराता हो,

(ग) मात्रा और वर्ण-बोधक चिह्न इतने भिन्न हों कि किन्हीं दो चिह्नों के स्वरूप में परस्पर कोई भ्रम या संशय न रहे, और

(घ) चिह्न सुंदर और कलात्मक होने के साथ-साथ आधुनिक लेखन और मुद्रण के यांत्रिक साधनों, जैसे टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर, मुद्रण-यंत्र आदि के लिए सरलता से अपनाए जा सकें।

किसी भी देश के लिए, जहाँ अनेक लिपियाँ प्रचलित हों, अपनाए जाने वाली सामान्य लिपि में कुछ और भी विशेषताएँ होनी चाहिएँ, जैसे :—

(क) अधिकांश जनता उस लिपि से परिचित हो,

(ख) देश की अन्य लिपियों से उस लिपि का घनिष्ठ संबंध हो,

(ग) उस लिपि के वर्णों का स्वरूप अन्य लिपियों के वर्णों के स्वरूप से मिलता-जुलता हो,

(घ) उस लिपि की वर्णमाला अन्य लिपियों की वर्णमाला के अनुरूप हो,

(ङ) ऐसी लिपि की परंपरागत प्रतिष्ठा हो; वह देश की अपनी लिपि रही हो, जनता का उससे भावात्मक लगाव हो और उसे अपनाने में जनसाधारण को आत्मगौरव का अनुभव हो।

फ़ारसी, रोमन और देवनागरी लिपियों का तुलनात्मक विश्लेषण

भारत के लिए एक सामान्य लिपि को अपनाने के उद्देश्य से प्रायः तीन लिपियों पर विचार किया जाता है--फ़ारसी, रोमन और देवनागरी।

मुग़लकाल में और उसके बाद काफ़ी समय तक फ़ारसी और उर्दू देश के अनेक भागों में राजकाज और अभिजात वर्ग की भाषाएँ रही हैं। यही कारण है कि देश के विभिन्न भागों में फ़ारसी लिपि का प्रचार रहा और इसी कारण सामान्य लिपि के रूप में इसे कुछ समय तक समर्थन मिलता रहा। तथापि समूचे देश के लिए एक सामान्य लिपि के रूप में अपनाए जाने के लिए किसी लिपि में जो गुण और विशेषताएँ होनी चाहिएँ वे फ़ारसी लिपि में अपेक्षाकृत कम हैं। फलतः सामान्य लिपि के रूप में फ़ारसी को अपनाने के लिए जो समर्थन पहले मिला था वह क्रमशः हटता गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लुप्त-प्राय हो गया।

भारत में अंग्रेज़ी शासन के साथ-साथ अंग्रेज़ी भाषा और रोमन लिपि का प्रचलन हुआ था और आधुनिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार के साथ इनका प्रचार भी होता गया। आज भारत का अधिकांश शिक्षित वर्ग रोमन लिपि से परिचित है जो अंग्रेज़ी भाषा की लिपि के रूप में भारत में आई थी।

भारतीय भाषाओं के लिए एक सामान्य लिपि के रूप में रोमन लिपि को अपनाने के पक्ष में प्रधानतः निम्नलिखित कारण बताए जाते हैं :--

(क) संसार की, और विशेषतः यूरोप की, अधिकतर भाषाओं की लिपि रोमन या उसका परिवर्तित रूप है। तुर्की, इंडोनेशिया आदि देशों ने भी रोमन लिपि को अपना लिया है। अनेक नवोदित अफ़्रीकी देशों में रोमन लिपि का ही प्रचार है। इस प्रकार रोमन अंतर्राष्ट्रीय लिपि बनती जा रही है। इसे अपनाने से विदेशी भाषाओं और साहित्य को समझने में सरलता होगी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखने में सुविधा होगी।

(ख) रोमन लिपि मुद्रण और लेखन के आधुनिक यांत्रिक साधनों की दृष्टि से उपयुक्त, सुविधाजनक और सरल है; इस दृष्टि से देवनागरी में अनेक कठिनाइयाँ हैं।

(ग) भारतीय सेना में हिंदुस्तानी लिखने के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता रहा है। इंडोनेशिया जैसे अनेक देशों ने रोमन लिपि को अपना लिया है। वहाँ के प्रवासी भारतीयों को हिंदी सीखने में सुविधा होगी यदि हिंदी रोमन लिपि में लिखी जाए। भारत के साथ इन देशों के सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध पुराने हैं और वहाँ के निवासी भारतीय भाषा और संस्कृति से परिचित होना चाहते हैं। अतः यदि उनके लिए भारतीय साहित्य रोमन लिपि में उपलब्ध कर दिया जाए तो उन्हें बड़ी सुविधा होगी।

विदेशी भाषाओं और साहित्यों को जानने-समझने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सुदृढ़ता के लिए लिपि का महत्व अत्यल्प होता है।

भारत की सभी भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियों को ठीक-ठीक व्यक्त करने के लिए रोमन लिपि समर्थ नहीं है, कम से कम उसका वह रूप जो अंग्रेज़ी की लिपि में है और जिसका भारत में प्रचार है। भारतीय भाषाओं की ऐसी अनेक ध्वनियाँ हैं जिनको व्यक्त करने के लिए इस रोमन लिपि में अनेक नए चिह्नों का समावेश आवश्यक होगा। ऐसा करने का अवश्यंभावी परिणाम यह होगा कि वैसी रोमन लिपि अत्यंत जटिल और दुरूह हो जाएगी और उसमें लचकीलापन न रह जाएगा। तात्पर्य यह कि रोमन लिपि के जिन गुणों से आकर्षित होकर उसका समर्थन किया जाता है वे सारे गुण हमारी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित रोमन लिपि में नहीं मिलेंगे।

भारतीयकृत रोमन लिपि का उच्चारण इतना भिन्न होगा कि उससे भारत में अंग्रेज़ी पढ़ाने में भी कठिनाई होगी। हिंदी लिखने के लिए सेना में सन् 1951 से रोमन लिपि के स्थान पर देवनागरी का ही प्रयोग किया जाने लगा है।

प्रवासी भारतीयों की सुविधा के लिए कुछ ऐसे साहित्य का चुनाव किया जा सकता है जो रोमन में छाप दिया जाए और ऐसे प्रवासी भारतीयों को उपलब्ध किया जाए जो रोमन लिपि से परिचित हैं। केवल इस प्रयोजन के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन को प्रतिष्ठित करना अनुपयुक्त होगा। ऊपर आदर्श लिपि के जो गुण बतलाए गए हैं और सामान्य लिपि से जो अपेक्षाएँ की जाती हैं वे रोमन में अत्यल्प हैं। इसके विपरीत उसमें ऐसे अनेक दोष हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए रोमन में एक ही चिह्न अनेक ध्वनियों के लिए प्रयोग में आता है जैसे father, fate, fat में a चिह्न भिन्न-भिन्न ध्वनियों को व्यक्त करता है।

एक ध्वनि अनेक चिह्नों से व्यक्त की जाती है। जैसे clock में c और k दोनों एक ही ध्वनि के लिए प्रयुक्त हुए हैं।

अनेक ध्वनियों का लिखित और उच्चरित रूप भिन्न-भिन्न है। जैसे night, knight आदि में।

भारत में रोमन लिपि का पठन-पाठन अंग्रेज़ी की लिपि के रूप में ही प्रचलित है और चूंकि इस देश में अंग्रेज़ी की साक्षरता न्यूनतम है इसलिए रोमन लिपि का प्रयोग अपेक्षाकृत अत्यल्प है।

रोमन लिपि भारतीय लिपियों की तुलना में बहुत कम ध्वन्यात्मक (फॉनेटिक) है। इसका वर्ण-विन्यास वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता।

रोमन लिपि की वर्णमाला भारतीय लिपियों की वर्णमाला के अनुरूप नहीं है अतः उसे सीखने और अपनाने में अनेक कठिनाइयाँ हैं।

भारत में रोमन लिपि की कोई परंपरागत प्रतिष्ठा नहीं है। अंग्रेजी भाषा की लिपि के रूप में भारतवासी उससे परिचित हैं। जनता का उससे कोई भावात्मक लगाव नहीं है।

लिपि कृत्रिम प्रतीकों या चिह्नों का संग्रह-मात्र होती है, वर्णमाला या भाषा से उसका अविच्छेद्य संबंध नहीं होता। सुविधा के अनुसार कोई भी लिपि अपनाई जा सकती है और ऐसा करने में भाषा को कोई हानि नहीं पहुँचती। तथापि यह आवश्यक है कि जिस लिपि को अपदस्थ किया जाए उसके दोषपूर्ण और असुविधाजनक होने के पर्याप्त कारण होने चाहिएँ। इसी तरह जिस लिपि को अपनाया जाए या प्रतिष्ठित किया जाए उसके पक्ष में पर्याप्त कारण होने भी आवयश्क हैं।

हमारे लिए यह कदापि युक्तिसंगत अथवा उचित नहीं है कि देवनागरी जैसी पूर्ण और वैज्ञानिक तथा ध्वन्यात्मक लिपि के बदले रोमन लिपि को अपनाया जाए।

देवनागरी ही क्यों ?

समस्त भारतीय भाषाओं के लिए एक सामान्य राष्ट्रलिपि के रूप में देवनागरी को अपनाने की उपयुक्तता पर जो चर्चा ऊपर हो चुकी है उसके अतिरिक्त इस प्रश्न पर अधिक गहराई से विचार करना आवश्यक होगा।

पिछले हज़ार वर्षों से देवनागरी भारत की सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय लिपि रही है। हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में उसका प्रयोग बहुलता से होता है। गुजराती, पंजाबी (गुरुमुखी) और बंगला लिपियाँ देवनागरी से बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं। नेपाल की भाषाओं--नेपाली और नेवाड़ी दोनों ही--के लिए देवनागरी लिपि का ही प्रयोग हो रहा है।

संस्कृत और प्राकृतों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर देवनागरी का प्रयोग पिछली शताब्दी से अधिकाधिक होने लगा है। एक समय था जब संस्कृत ग्रंथ शारदा, बंगला, तेलुगु, ग्रंथ (लिपि), मैथिल, मलयालम आदि प्रादेशिक लिपियों में लिखे जाते थे। 1860 के बाद देवनागरी धीरे-धीरे संस्कृत की एकमात्र लिपि बन गई। पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसे आदर्श लिपि माना और संस्कृत के महत्त्वपूर्ण ग्रंथों को देवनागरी में प्रकाशित कराया। संस्कृत भाषा और साहित्य का विद्यार्थी चाहे वह किसी भी प्रदेश का निवासी हो देवनागरी से अवश्य परिचित होता है।

लेखन प्रणालियों के क्रमिक विकास को देखने से ज्ञात होता है कि एक प्रादेशिक लिपि में लिखे मूल पाठ को उस प्रदेश से बाहर अन्य प्रदेशों में पहुँचाने का प्रधान साधन देवनागरी लिपि ही रही है। यही कारण है कि

लिखित संचार के अखिल भारतीय माध्यम के रूप में देवनागरी को अपनी महान परंपरा का बल प्राप्त है ।

लगभग सभी आधुनिक भारतीय लिपियों का मूल स्रोत ब्राह्मी लिपि है जो संस्कृत के मर्मज्ञों और ध्वनिशास्त्र के पंडितों के हाथों अशोक के राज्यकाल तक विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि बन चुकी थी । इस दृष्टि से सभी भारतीय लिपियाँ सहोदरा हैं । सबके स्वरों और व्यंजनों का ध्वनि-विन्यास और स्वरूप लगभग एक-सा है ।

तमिल को छोड़कर प्रायः सभी भारतीय लिपियों की वर्णमाला एक-सी है । उनके वर्णों के स्वरूप में जो थोड़ी बहुत भिन्नता पाई जाती है वह उनकी भिन्न-भिन्न लेखन पद्धतियों और लेखन-सामग्री यथा भोजपत्र, तालपत्र आदि की भिन्नता के परिणाम स्वरूप कालक्रम से आती गई है ।

देवनागरी में वे आवश्यक गुण हैं जो एक आदर्श लिपि में होने चाहिएँ और वे सारी विशेषताएँ भी जो एक सामान्य राष्ट्रलिपि से अपेक्षित हैं ।

देवनागरी में संशोधन

सामान्य राष्ट्रलिपि के रूप में देवनागरी को अपनाने में जो कठिनाइयाँ थीं उन्हें विशेषज्ञों, राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के परामर्श से दूर करने का यत्न केंद्रीय सरकार ने किया है ।

(अ) देवनागरी (हिंदी और मराठी) वर्णमाला का मानक रूप स्थिर किया जा चुका है ।

(आ) देवनागरी के जिन वर्णों के दो-दो रूप अब तक प्रचलित रहे हैं उनमें से एक का मानकीकरण कर दिया गया है । जैसे, अ–अ, झ–झ ण–ण, आदि में बाद वाले रूपों को स्वीकार कर लिया गया है ।

(इ) कुछ वर्णों को पढ़ने में भ्रम हो जाता था । उनके स्वरूप को स्पष्ट कर दिया गया है ताकि भ्रम न रहे । जैसे, ख के पुराने स्वरूप (ख) में र और व दो वर्णों का भ्रम होता था अब ख के संशोधित स्वरूप (ख) को अपना लेने से यह भ्रम जाता रहा ।

(ई) संयुक्ताक्षर बनाने की प्रणाली स्थिर कर दी गई है । जैसे :—

खड़ी पाई वाले व्यंजन का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर बनाया जाता है । जैसे, लग्न, सभ्य, राष्ट्रीय ।

'क' और 'फ' के संयुक्ताक्षर बनाने का वर्तमान ढंग स्वीकार कर लिया गया है । जैसे संयुक्त, दफ्तर ।

ङ, छ, ट, ड, ढ और द के संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगाकर ही बनाए जाते हैं । जैसे वाङ्मय, उच्छ्वास, अकाट्य, पाठ्य, गुणाढ्य, विद्या आदि ।

संयुक्त 'र' के पुराने तीनों रूप यथावत् हैं । जैसे प्रकार, धर्म और राष्ट्र ।

'श्र' का पुराना रूप ही मान्य है । जैसे श्री ।

'ह' का संयुक्त रूप हल चिह्न लगा कर भी बनाया जा सकता है और

पुराना रूप भी क़ायम है, लेकिन "चिह्न" में दर्शाया गया रूप अमान्य है।

(उ) देवनागरी वर्णमाला का मानकीकरण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि वह लेखन और मुद्रण के आधुनिक उपकरणों के लिए भी उपयुक्त रहे ताकि इस संबंध में देवनागरी की कमियों को दूर किया जा सके।

(ऊ) देवनागरी (हिंदी और मराठी) टाइपराइटर और टेलीप्रिंटर के कुंजी-पटलों को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथापि उपयुक्त सुझाव आने पर विचार-मार्ग अब भी अवरुद्ध नहीं है।

(ए) हिंदी वर्तनी के रूप भी निश्चित कर दिए गए हैं और इनके संबंध में भारत सरकार द्वारा सन् 1961 में संगठित समिति की सिफ़ारिशें अप्रैल 1962 में अंतिम रूप से स्वीकार की जा चुकी हैं।

देवनागरी में नवीन प्रतीकों का समावेश

देवनागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि का स्वरूप और क्षमता देने के उद्देश्य से उसमें हिंदीतर भाषाओं की उन विशिष्ट ध्वनियों के लिए नवीन प्रतीकों का समावेश कर दिया गया है जो अब तक उसमें नहीं थे।

भाषाविद् समिति

इस कार्य के लिए भारत सरकार ने सन् 1961 में एक भाषाविद् समिति संगठित की थी जिस के सदस्य विभिन्न भारतीय भाषाओं के निम्न-लिखित विद्वान थे।

1. डा० बाबूराम सक्सेना 2. डा० सुकुमार सेन 3. प्रो० टी० पी० मीनाक्षीसुंदरन 4. डा० चन्द्र शेखर 5. डा० पी० वी० पंडित 6. डा० मसूद हुसैन खाँ 7. डा० एन० एन० भथेजा 8. डा० वी० पी० कोलते 9. प्रो० एन० नागप्पा 10. श्री गोलोक बिहारी धल 11. श्री एस० के० तोशाखानी 12. श्री लोकनाथ मराली 13. प्रो० जोगेंद्र सिंह सोंधी।

विशेष आमंत्रित : 1. श्री पृथ्वीनाथ पुष्प 2. प्रो० गुरबख्श सिंह

निदेशालय के अधिकारी : 1. प्रो० ए० चंद्रहासन 2. डा० विश्वनाथ प्रसाद 3. श्री कृष्ण दयाल भार्गव 4. डा० सिद्धेश्वर वर्मा 5. डा० रामधन शर्मा 6. डा० गोपाल शर्मा 7. श्री जीवन नायक 8. डा० सुरेश अवस्थी 9. श्री काशीराम शर्मा 10. श्री परशुराम शर्मा।

समिति ने भारतीय भाषाओं की विभिन्न ध्वनियों का अध्ययन किया और उन्हें व्यक्त करने के लिए देवनागरी की क्षमता को जाँचा। समिति ने आधुनिक लेखन-यंत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, लंबे विचार-विमर्श के बाद, सरकार के सम्मुख अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत कीं।

अनुमोदित सिफ़ारिशें

समिति की सिफ़ारिशों पर भारत सरकार का अनुमोदन इस रूप में प्राप्त हुआ है।

1. मराठी, गुजराती, असमिया, बंगला, पंजाबी और उड़िया भाषाओं के लिपिग्राम हिंदी के लिपिग्रामों के समान ही हैं अतः उनके संबंध में अक्षरशः लिप्यंतरण पर्याप्त होगा ।

2. तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड, कश्मीरी और सिंधी भाषाओं में देवनागरी से भिन्न या अतिरिक्त लिपिग्राम हैं, अतः उनकी विशिष्ट ध्वनियों के लिए नीचे दिए अनुसार संकेत-चिह्न अपनाए जाएँगे ।

विशिष्ट ध्वनि

स्वर	अक्षर रूप	मात्रा रूप
(1) दक्षिण भारत की चार भाषाओं तथा कश्मीरी भाषा के ह्रस्व 'ए' और 'ओ'	ऍ ऑ	ॅ ॉ
(2) कश्मीरी भाषा के विशिष्ट स्वर 'अ' 'आ' और 'उ' 'ऊ'	अ॒ आ॒ उ॒ ऊ॒	॒ ॒ ॒ ॒
(3) कश्मीरी भाषा के कुछ शब्दों के अंत में आने वाले अत्यल्प 'इ' और 'उ'	इ॒ उ॒	ि ु

ऊपर (2) और (3) में सुझाए गए संकेत-चिह्नों को आवश्यकतानुसार अन्य भाषाओं के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है ।

व्यंजन

※(1) कश्मीरी चवर्ग च़ छ़ ज़ झ़
(2) सिंधी भाषा के अंतःस्फुट व्यंजन ग़ ज़ द़ ब़
(3) तमिल ழ के लिए ळ और मलयालम ഴ के लिए ऴ
(4) तमिल ற, मलयालम റ, तेलुगु और कन्नड ఱ ೱ के लिए ऱ
(5) मलयालम ൻ के लिए ऩ
(6) तमिल ன और मलयालम ന के लिए न
(7) उर्दू की विशिष्ट ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए तदनुरूप देवनागरी वर्ण के नीचे बिंदु लगाया जाए ।

विभिन्न लिपियों के तुलनात्मक चार्ट और संविधान के अनुच्छेद-351 का देवनागरी लिप्यंतरण

भारत सरकार के उक्त निर्णयों को अधिक स्पष्ट करने के अभिप्राय से विभिन्न भारतीय भाषाओं की वर्णमाला को संशोधित देवनागरी वर्णमाला के साथ तुलनात्मक चार्टों के रूप में आगे दिया गया है और यह दर्शाया गया है कि हिंदीतर भाषाओं की अमुक ध्वनि को देवनागरी के अमुक वर्ण से व्यक्त किया जाएगा, अर्थात् देवनागरी लिप्यंतरण करते समय हिंदीतर भाषाओं के अमुक वर्ण के स्थान पर देवनागरी का अमुक वर्ण रखा जाएगा ।

इन निर्णयों की व्यावहारिकता को दर्शाने के लिए भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित चौदह भाषाओं में लिखित संविधान के अनुच्छेद 351 का देवनागरी-लिप्यंतरण आगे दिया गया है ।

※ आवश्यकतानुसार इनका प्रयोग तेलुगु आदि के लिए भी किया जा सकता है ।

असमिया

हिंदी भाषार प्रसार बढ़ोवा, भारतर संमिश्रित संस्कृतिर सकलो अवयवर प्रकाशर माध्यमरूपे सेवा करिब पराकै इयार उन्नति सधा, सेइ भाषात हिंदुस्थानी आरु अष्टम अनुसूचीत निर्दिष्ट करा भारतर अन्यान्य भाषाबोरर सत्त्वात हस्तक्षेप नकराकै चला रूप, ठाँच आरु अभिव्यक्ति आहरणर योगेदि मुख्यतः संस्कृतर परा आरु गौनतः आन भाषाबोरर परा आवस्यक बा सङ्गत होवामते शब्दकोष रचना करि इयाक समृद्धिशाली करा संघर कर्त्तव्य हव ।

असमिया - देवनागरी वर्णमाला				
অ अ	আ आ	ই इ	ঈ ई	উ उ
ঊ ऊ	ঋ ऋ	ঌ ऌ	এ ए	ঐ ऐ
ও ओ	ঔ औ	ং अं	ঃ अः	
ক क	খ ख	গ ग	ঘ घ	ঙ ङ
চ च	ছ छ	জ ज	ঝ झ	ঞ ञ
ট ट	ঠ ठ	ড ड	ঢ ढ	ণ ण
ত त	থ थ	দ द	ধ ध	ন न
প प	ফ फ	ব ब	ভ भ	ম म
য य	ৰ र	ল ल	ৱ व	শ श
ষ ष	স स	হ ह	ক্ষ क्ष	জ্ঞ ज्ञ
ড় ड़	ঢ় ढ़	ৎ त्	য় य	

उड़िया

हिंदी भाषार प्रसार वृद्धि करिबा भारतर समन्वित संस्कृतिर समस्त तत्पर अभिव्यक्तिर माध्यम रूपे येपरि कार्य्यकारी होइ पारिब सेपरि भावरे ताहार उन्नति करिबा एवं तहिँर मौळिकतारे हस्तक्षेप न करि हिन्दुस्थानी एवं अष्टम अनुसूचिरे उल्लिखित अन्य भारतीय भाषामानंकर रूपशैळी ओ शब्दावळी ग्रहण करि एवं येउँठारे आवश्यक विवेचित हेव सेठारे तहिँर शब्दभण्डार लागि मुख्य भावरे संस्कृतरु एवं गौण भावरे सेपरि उल्लिखित भाषामानंकरू शब्द ग्रहण करि तहिँर समुदय साधन करिबा संघर कर्त्तव्य हेव ।

उड़िया - देवनागरी वर्णमाला

ଅ अ	ଆ आ	ଇ इ	ଈ ई	ଉ उ
ଊ ऊ	ଋ ऋ	ଏ ए	ଐ ऐ	ଓ ओ
	ଔ औ	ଂ अं	ଃ अः	
କ क	ଖ ख	ଗ ग	ଘ घ	ଙ ङ
ଚ च	ଛ छ	ଜ ज	ଝ झ	ଞ ञ
ଟ ट	ଠ ठ	ଡ ड	ଢ ढ	ଣ ण
ତ त	ଥ थ	ଦ द	ଧ ध	ନ न
ପ प	ଫ फ	ବ ब	ଭ भ	ମ म
ଯ य	ର र	ଳ ळ	ଲ ल	ୱ व
ଶ श	ଷ ष	ସ स	ହ ह	କ୍ଷ क्ष
	ଡ଼ ड़		ଢ଼ ढ़	

उर्दू

यूनियन का यह फ़र्ज़ होगा कि हिंदी ज़ुबान के फैलाव को बढ़ाए, उसको इस तरह तरक़्क़ी दे कि वह हिंद की मिली-जुली तहज़ीब के तमाम अनासिर के लिए इज़हार-ए-ख्याल के ज़रिए का काम दे सके और उसके मिज़ाज को छेड़े बग़ैर हिंदुस्तानी ज़ुबान और हिंद की दूसरी ज़ुबानों के रूप, अस्लूब और तर्ज़-ए-इज़हार को जिनकी सराहत आठवीं फ़ैहरिस्त बंद में की गई है, जज़्ब करके और उसके लफ़्ज़ी ज़खीरे के लिए जो कुछ ज़रूरी और मुनासिब हो, पहले संस्कृत से और बाद को दूसरी ज़ुबानों से लेकर उसे मालामाल करे।

उर्दू - देवनागरी वर्णमाला

ट ٹ	त ت	प پ	ब ب	अ ا
ख़ خ	ह ح	च چ	ज ج	स ث
ड़ ڑ	र ر	ज़ ذ	ड ڈ	द د
स ص	श ش	स س	झ़ ژ	ज़ ز
ग़ غ	अ ع	ज़ ظ	त ط	ज़ ض
ल ل	ग گ	क ک	क़ ق	फ़ ف
य ی	ह ہ	व و	न ن	म م
		य ے		

झ ھ	ठ ٹھ	थ تھ	फ پھ	भ بھ
ख کھ	ढ़ ڑھ	ढ ڈھ	ध دھ	छ چھ
आ آ	उ اُ	इ اِ	अ ا	घ گھ

कन्नड़

हिंदी भाषेय प्रसारवन्नु वृद्धिमाडुवुदू, ओंदु भारतद संकीर्ण संस्कृतिय ऍल्ल अंगभागगळ अभिव्यक्ति मध्यम वागि एर्पडुवन्तॆ अदन्नु विकासगॊळिसुवुदू, अदर जायमानक्कॆ विरोधवन्नुंटुमाडदंतॆ, हिंदूस्थानि भाषेयल्लि अथवा ऍंटनेय अनुसूचियल्लि उल्लिखितवागिरुव भारतद इतर भाषेगळल्लि उपयोगिसलागिरुव रूपगळन्नु, शैलियन्नु मत्तु पदावळिगळन्नु समीकरिसुवुदर मूलक मत्तु आवश्यकवादॆंडॆगळल्लॆल्ल, अथवा अपेक्षितवादॆंडॆगळल्लॆल्ल, अदर शब्दभंडारक्कागि, मुख्यवागि संस्कृतदिंदलू, गौणवागि इतर भाषेगळिंदलू शब्दगळन्नु ग्रहणमाडुवुदर मूलक हिंदी भाषेय संपत्तियन्नु हॆच्चिसुवुदु सुनिश्चितवागुवंतॆ माडुवुदू संघद कर्तव्य गळागिरतक्कुदु ।

ಕನ್ನಡ - देवनागरी वर्णमाला

ಅ अ	ಆ आ	ಇ इ	ಈ ई	ಉ उ
ಊ ऊ	ಋ ऋ	ೠ ॠ	ಎ ಏ	ಏ ए
ಐ ऐ	ಒ ಅಂ	ಓ ओ	ಔ औ	ಅಂ अं
		ಆಃ अः		
ಕ क	ಖ ख	ಗ ग	ಘ घ	ಙ ङ
ಚ च	ಛ छ	ಜ ज	ಝ झ	ಞ ञ
ಟ ट	ಠ ठ	ಡ ड	ಢ ढ	ಣ ण
ತ त	ಥ थ	ದ द	ಧ ध	ನ न
ಪ प	ಫ फ	ಬ ब	ಭ भ	ಮ म
ಯ य	ರ र	ಲ ल	ವ व	ಶ श
ಷ ष	ಸ स	ಹ ह	ಕ್ಷ क्ष	ಳ ळ

कश्मीरी

यूनियनेच् डिवटी आसिन ह्यन्दी ज़ुबान फालावनस हुर्यर करुन् तं यिछ् तरक़ी दिन्य् युथ स्व ह्यन्दुस्तानकि रलमिलं अदबक्यन सारिनिय् जुजन हंन्दि बावनकि ज़ुरियिच् काम दियि, तं अमिकिस ह्यतस सूंत्य् मदाख़लत करनं वरांय ह्यन्दुस्तानियस तं ऊठिमिस शड्यूलस मंज़ मख़्सूस सर्पज़मंचुन ह्यन्दुस्तान्य् ज़ुबान्यन् अन्दर इस्तेमाल सपदन् वाल्यन् दिवंचुन, रूपन, तरज़ुन तं बोलचालन हंन्दि पानस मंज़ जज़ुब करनं सूंत्य् अम्युक मालामाल करुन् तं यति ज़ुरूरथ प्यथि या जान बासि तति अमिक्यन लफ्ज़ुन हुन्द तेदाद बढ़ावनं खातिरं ग्वड़न्यथ संस्कृतं मंज़ तिम निनि् तव पतं ब्ययौ अदबक्यव ज़ुबान्यव् मंज़ ।

कश्मीरी - देवनागरी वर्णमाला

ई ؠ	इ ؠ	आ آ	अ ا	ऑ ؠ	अं ؠ	
ओ او	अॅ ؠ	ऊ اُو	उ اُ	ऊ ؠ	उ ؠ	
इ ؠ ی		ए ے		ऍ ؠ ے		

छ ھ	च چ	ग گ	ख کھ	क ک
ट ٹ	ज़ ز	छ ژھ	च ژ	ज ج
द د	थ تھ	त ت	ड ڈ	ठ ٹھ
म م	ब ب	फ پھ	प پ	न ن
व و	ल ل	र ر	य ے	य ی
	ह ہ	स س	श ش	

गुजराती

संघनुं ए कर्त्तव्य रहेशे के हिंदी भाषाना फेलावाने आगळ धपाववो, तेनो विकास ते भारतनी संमिश्र संस्कृतिनां सर्व तत्त्वो माटे अभिव्यक्तिना वाहननी गरज सारे एवी रीते साधवो; अने, तेनी प्रकृतिमां दखल कर्या विना हिंदुस्तानीमां अने आठमा परिशिष्टमां उल्लिखित भारतनी अन्य भाषाओमां वपरातां रूपो, शैली अने वचनो अपनावीने, अने, आवश्यक के इष्ट होय त्यां त्यां, तेना शब्दभंडोळ माटे मुख्यपणे संस्कृत अने गौणपणे अन्य भाषाओमांथी आदान करीने तेनी समृद्धि साधवी ।

ગુજરાતી - देवनागरी वर्णमाला

અ अ	આ आ	ઇ इ	ઈ ई	ઉ उ
ઊ ऊ	ઋ ऋ	એ ए	ઐ ऐ	ઓ ओ
	ઔ औ	અં अं	અઃ अः	
ક क	ખ ख	ગ ग	ઘ घ	ઙ ङ
ચ च	છ छ	જ ज	ઝ झ	ઞ ञ
ટ ट	ઠ ठ	ડ ड	ઢ ढ	ણ ण
ત त	થ थ	દ द	ધ ध	ન न
પ प	ફ फ	બ ब	ભ भ	મ म
ય य	ર र	લ ल	વ व	શ श
ષ ष	સ स	હ ह	ળ ळ	ક્ષ क्ष
	ત્ર त्र		જ્ઞ ज्ञ	

तमिल

हिंदि भाषै परवुवदर्कु आवन् शय्दलुम्, इदियाविन् पलकूरुडैय पण्पाट्टिन् सकल अंशंगळैयुम् वॅळियिडुवदर्केट्ट करुवियाकप्पयन्पडुमारु अदै अभिवृद्धि शय्दलुम्, अदनुडैय तनिप्पण्पिर्कु इडैयूरिन्रि हिंदुस्तानियिलुम् ऍट्टावदु तपसीलिल् कुरिप्पिट्ट मट्टैय इन्दिय भाषैकळिलुम् वळंगुम् वडिवंगळैयुम् नडैयैयुम् शॉर्ट्हाडर्कळैयुम् ग्रकित्तुक्काळ्वदन् मूलमाकवुम्, अदनुडैय शाल्वळत्तिर्कु अवशियमाकवो उचितमाकवो उळ्ळ इडंगळिल्, मुदलावदु सम्स्कृतत्तिलिरुन्दुम् अडुत्तपडियाक मट्टैय भाषैकळिलिरुन्दुम् शॉर्कळै ऍडुत्तुवकोळ्वदन् मूलमाकवुम् हिंदि भाषैयैच् चॅळिप्पुरच् चॅय्दलुम् यूनियनिन् कडमैयाकुम् ।

तमिल - देवनागरी वर्णमाला

அ अ	ஆ आ	இ इ	ஈ ई
உ उ	ஊ ऊ	எ ऍ	ஏ ए
ஐ ऐ	ஒ ऑ ओ	ஓ ओ	ஔ औ

ஃ अक्

க க	ங ङ	ச च	ஞ ञ
ட ट	ண ण	த त	ந न
ப प	ம म	ய य	ர र
ல ल	வ व	ழ ऴ	ள ள
ற ऱ	ன ऩ	ஷ ष	ஸ स

ஹ ह ஜ ज க்ஷ क्ष

तेलुगु

हिंदी भाषयंक्कि विस्तृतिनि पेम्पोन्दिचुटयु इंडियायंक्कि मिश्रित संस्कृतिकि चेन्दिन अन्नि अंशमुलकु भाव प्रकटना साधनमुग उपकरिंचुनट्लु दानिनि अभिवृद्धि चेयुटयु, मरियु दानि आत्मीयतकु भंगमुकलुगकुंड, हिन्दुस्तानीलोनु ऍनिमिदव अनुसूचियंदु निर्दिष्टमैयुंडु इंडियालोनि इतर भाषललोनु प्रयोगिंपबडु रूपमुलनु, शैलिनि, नुडिकारमुलनु स्वीकरिंचियु मरियु अवसरमैनप्पुडु लेक वांछनीयमैनप्पुडु दानि पदजालमुनकुगानु प्रधानमुग संस्कृतमुनुंडियु आपैन इतर भाषलनुंडियु पदमुलनु सेकरिंचियु दानि विकासमुनु चेकूर्चुटयु, संघमुयंक्कि कर्तव्यमैयुंडवलेनु ।

తెలుగు - देवनागरी वर्णमाला

అ अ	ఆ आ	ఇ इ	ఈ ई	ఉ उ
ఊ ऊ	ఋ ऋ	ౠ ॠ	ఌ ऌ	ౡ ॡ
ఎ ఎ	ఏ ए	ఐ ऐ	ఒ ओ	ఓ ओ
	ఔ औ	అం अं	అః अः	
క క	ఖ ख	గ ग	ఘ घ	ఙ ङ
చ च	ఛ छ	జ ज	ఝ झ	ఞ ञ
ట ट	ఠ ठ	డ ड	ఢ ढ	ణ ण
త त	థ थ	ద द	ధ ध	న न
ప प	ఫ फ	బ ब	భ भ	మ म
య य	ర र	ల ल	వ व	శ श
ష ष	స स	హ ह	క్ష क्ष	ఱ ऱ
		ళ ळ		

पंजाबी

हिंदी भाषा दे परसार दी विरधी करन, उस दा विकास करन तां जो उह भारत दी समाजक सभिआचार दे सारे तत्त दे परगटाओ दा माधिअम हो सके अते उस दी आतमीअता विच्च दखल दिते बिनां हिंदुस्तानी ते अठवीं अनुसूची विच्च दरज होर भारती भाशावां दे रूप, शैली ते पदावली नूं जज़ब करदे होए, अते जित्थे ज़रूरी जां वांछनी होवे, उत्थे उस दे शवद-भंडार लई मुक्ख रूप विच्च तां संसक्रित तों अते उस तो उतर के दूजीआं भाशावां तों शवद ग्रहण करदिआं उस दी सम्रिद्धी सुनिशचत करना, संघ दा करतव्व होवेगा ।

पंजाबी (गुरुमुखी)-देवनागरी वर्णमाला

ਅ अ	ਆ आ	ਇ इ	ਈ ई	ਉ उ
ਊ ऊ	ਰੀ ऋ	ਏ ए	ਐ ऐ	ਓ ओ
	ਔ औ	ਅੰ अं	ਅਃ अः	
ਕ क	ਖ ख	ਗ ग	ਘ घ	ਙ ङ
ਚ च	ਛ छ	ਜ ज	ਝ झ	ਞ ञ
ਟ ट	ਠ ठ	ਡ ड	ਢ ढ	ਣ ण
ਤ त	ਥ थ	ਦ द	ਧ ध	ਨ न
ਪ प	ਫ फ	ਬ ब	ਭ भ	ਮ म
ਯ य	ਰ र	ਲ ल	ਵ व	ਸ਼ श
	ਸ स	ਹ ह		

बंगला

संघेर कर्तव्य हइवे हिंदी भाषार प्रसार वृद्धि करा, भारतेर संमिश्र संस्कृतिर विभिन्न उपादानर अभिव्यक्तिर माध्यम हिसावे व्यवहारेर जन्य उहार विकाशसाधन करा, एवं उहार निजस्व वैशिष्ट्ये हस्तक्षेप ना करिया हिन्दुस्थानी एवं अष्टम अनुसूचीते उल्लिखित भारतेर अन्यान्य भाषार रूप, रीति एवं पदसमूह निजस्व करिया लइया एवं, येखाने प्रयोजन वा वाञ्छनीय सेखाने, मुख्यतः संस्कृत एवं गौणतः अन्यान्य भाषा हइते पदसमूह संग्रह करिया याहाते ऐ भाषा समृद्ध हइते पारे ताहा सुनिश्चित करा ।

বংগলা - দেবনাগরী वर्णमाला				
অ अ	আ आ	ই इ	ঈ ई	উ उ
ঊ ऊ	ঋ ऋ	ঌ ऌ	এ ए	ঐ ऐ
ও ओ	ঔ औ	ং अं	ঃ अः	
ক क	খ ख	গ ग	ঘ घ	ঙ ङ
চ च	ছ छ	জ ज	ঝ झ	ঞ ञ
ট ट	ঠ ठ	ড ड	ঢ ढ	ণ ण
ত त	থ थ	দ द	ধ ध	ন न
প प	ফ फ	ব ब	ভ भ	ম म
য य	র र	ল ल	ব व	শ श
ষ ष	স स	হ ह	ক্ষ क्ष	জ্ঞ ज्ञ
শ্র श्र	ড় ड़	ঢ় ढ़	ৎ त्	য় य

मलयालम

हिंदी भाषयुटे प्रचारत्तिन्‌ अभिवृद्धिय्क्कुवुम्‌ अतिन्‌ इन्द्ययुटे संयुक्त संस्कारत्तिन्‌ ऍल्ला घटकङ्ङळ्क्कुं आशयप्रकटनत्तिनुळ्ळ आरु उपाधियायि प्रयोजनप्पेटत्तक्कविधं पोषिप्पिक्कुन्नतुं अतिन्‌ विशेष प्रवणतयिल्‌ कैकटत्ताते हिन्दुस्तानियिलुं ऍट्टां पट्टिकयिल्‌ निर्देशिच्चिट्टुळ्ळ म रु इन्डियन्‌ भाषकळिलुं उपयोगिक्कप्पेटुन्न रूपङ्ङळुं रीतियुं शैलिकळुं इणविक्कक्कलर्त्तियुं, अतिन्‌ शब्द समुच्चयत्तिनु वेण्टि मुख्यमायि संस्कृतत्तिलुं, रण्टामतायि म रु भाषकळिलुं निन्नु आवश्यवुं अभिलषणीयवुमाय इटङ्ङळिल्‌ पदङ्ङळ्‌ स्वीकरिच्चुं अतिन्‌ परिपुष्टि सुरक्षितमाक्कुन्नतुं यूणियन्‌ कर्तव्यमायिरिक्कुन्नताणु।

മലയാലം - देवनागरी वर्णमाला

അ अ	ആ आ	ഇ इ	ഈ ई	ഉ उ
ഊ ऊ	ഋ ऋ	ൠ ॠ	ഌ ऌ	ൡ ॡ
എ ॅ	ഏ ए	ഐ ऐ	ഒ ॉ	ഓ ओ
	ഔ औ	അം अं	അഃ अः	
ക क	ഖ ख	ഗ ग	ഘ घ	ങ ङ
ച च	ഛ छ	ജ ज	ഝ झ	ഞ ञ
ട ट	ഠ ठ	ഡ ड	ഢ ढ	ണ ण
ത त	ഥ थ	ദ द	ധ ध	ന न
പ प	ഫ फ	ബ ब	ഭ भ	മ म
യ य	ര र	ല ल	വ व	ശ श
ഷ ष	സ स	ഹ ह	ള ळ	ക്ഷ क्ष
	ഴ ~~ऴ~~	റ ऱ	~~ൻ~~	

मराठी

हिंदी भाषेच्या प्रसाराचें संवर्धन करणें आणि ती भारताच्या समन्वित संस्कृतीच्या सर्व मूल तत्त्वांच्या अभिव्यक्तीचें माध्यम म्हणून कामीं पडूं शकेल असा तिचा विकास करणें आणि तिच्या प्रकृतीमध्यें बिघाड केल्यावांचून, हिंदुस्तानी व अष्टम अनुसूचींत उल्लेखिलेल्या अन्य भारतीय भाषा यांचीं रूपें, शैली व शब्दप्रयोग यांस आत्मसात करीत करीत आणि जेथे जेथे आवश्यक वा वांछनीय असेल तेथे तेथे तिच्या शब्दकोशाकरितां, प्रथमतः संस्कृत व द्वितीयतः इतर भाषा यांजपासून शब्दग्रहण करून तिची समृद्धि सुनिश्चित करणें, हें संघाचें कर्तव्य असेल ।

संस्कृत

हिंदीभाषायाः प्रसारस्य वृद्धिः, तस्या विकासो यथा सा भारतस्य संमिश्रितसंस्कृतेः सर्वेषामुपादानानामभिव्यक्तेः साधनं सम्पद्यते, तथा तस्याः स्वभावे हस्तक्षेपमन्तरेण हिन्दुस्थान्या अष्टमानुसूच्यामुल्लिखितानामन्यासां भारतीयभाषाणां च रूपाणां शैल्याः शब्दसमूहानां चात्मसात्कारेण तथा यत्रावश्यकं वाञ्छनीयं च भवेत्तत्र तस्याः शब्दभाण्डाराय मुख्यतया संस्कृताद् गौणतया च अन्यभाषाभ्यः शब्दग्रहणेन तस्याः समृद्धेः संपादनं संघस्य कर्तव्यं भवेत् ।

हिंदी

हिंदी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात् करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्दभंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः वैसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।

GMGIPND-PLN-497/3/Edu/66-67-10,000

আ	আ	◌া	আ
ই	ই	◌ি	ই
ঈ	ঈ	◌ী	ঈ
উ	উ	◌ু	উ
ঊ	ঊ	◌ূ	ঊ
ঋ	ঋ	◌ৃ	ঋ

এ	এ	◌ে	এ
ঐ	ঐ	◌ৈ	ঐ
ও	ও	◌ো	ও